

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## —:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता स्कूल शिक्षा को विदेश जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अद्यधोन प्रदान की जाती है :-

क्रसं	नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान	विषय	जन्म तिथि	विदेश यात्रा हेतु प्रस्तावित देश का पता	विदेश में रहने की अवधि
1	श्रीमती शर्मिला राउमावि ईशरोदा, अलवर	अंग्रेजी	26.01.1989	HOGAMOLLEGATAN 9A, 212 9-MALMO (SWEDEN)	दिनांक 20.06.2022 से 19.06.2023 तक (कुल 01 वर्ष)

1. कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे। अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे :-
  - (i) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
  - (ii) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तान्तरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
  - (iii) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
  - (iv) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
9. विदेश प्रवास के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)

आई.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

बीकानेर

दिनांक- 16.05.2022

क्रमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/विदेश यात्रा-एनओसी/2021-22

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (युप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
4. संबंधित प्रधानाचार्य,
5. सिस्टम एनेलिसिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।
6. संबंधित कार्मिक/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)